

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

कमांक एफ 27(36) ग्रावि/अनु-5/GKN/BSR/2021-22 जयपुर दिनांक :- 23 मई, 2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद समस्त,  
राजस्थान

विषय:- वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत समितिवार लागू दर अनुसूची (BSR)  
पंचायत समितियों को उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 13.12.21, 28.01.22, 04.03.22, 24.03.22,  
04.04.22 एवं 11.05.22।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण कार्य निर्देशिका- 2010 के बिन्दु संख्या 8 के परिपेक्ष्य में वर्ष 2022-23 के लिए श्रम, सामग्री एवं उपकरणों की बेसिक दरों का निर्धारण करने एवं दर अनुसूची (BSR) तैयार करने के क्रम में प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिनांक 18.3.2022 तक जिला दर निर्धारण समिति की बैठक आयोजित कराकर अनुमोदन उपरान्त पंचायत समितिवार "बीएसआर सॉफ्ट" पर अपलोड कर दिनांक 1.4.2022 से लागू / प्रभावी करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त क्रम में वर्ष 2022-23 के लिए "बीएसआर सॉफ्ट" पर जिले की पंचायत समितिवार लागू दर अनुसूची (BSR) की प्रति जिला स्तर पर पदस्थापित अधिशाषी अभियंता (अभि.) के हस्ताक्षर से जारी कराकर, जिले की पंचायत समितियों को उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

भवदीय

(के. के. शर्मा)  
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद, समस्त।
4. प्रोग्रामर, ग्राविवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि